इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 मई 2022—वैशाख 21, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2022

क्र. एफ-04-44-2021-अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम-8 ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**8-ख सीधी भर्ती के लिये चयन**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मेयर-इन-कौंसिल द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित किए जाने पर आयुक्त चिन्हित द्वितीय-श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग तथा तृतीय-श्रेणी एवं चतुर्थ-श्रेणी के पदों की भर्ती के लिये प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को पत्र भेजेगा और लोक सेवा आयोग / प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से प्राप्त चयन सूची में से अधिमान-क्रम में अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करेगा. तथापि उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) के खण्ड (तीन) के अधीन आने वाले पदों के लिए राज्य सरकार की पूर्व पुष्टि प्राप्त की जाएगी.

F-04-44-2021-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of section 1956), the State Government hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Appointment and Conditions of service of Officer and Servants) Rule, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 8-B the following rule shall be substituted, namely :—

"**8-B. Selection for direct recruitment.**—Notwithstanding anything contained in these rules, On passing a resolution in this respect by Mayor-in-Council, the Commissioner shall send the letter for the recruitment of identified Class-II post to the Public Service Commission and Class-III & Class-IV post to the Professional Examination Board and issue the appointment order of the candidates, in the order of preference from the selection list received from Public Service Commission/Professional Examination Board. However, prior confirmation of the State Government shall be obtained for the posts falling under clause (iii) of sub-section (1) of Section 58 of the said Act."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.